

In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur
RAKESH KUMAR-V

सरजू पासवान बनाम श्री भगवान पासवान वगैरह

T.S-102/2020

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
06-08-2025	वादी की हाजिरी है एवं प्रतिवादी अनुपस्थित हैं। वादी की ओर से दिनांक-28.03.2023 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश-6 नियम-17 धारा-151 सी0पी0सी0 अंतर्गत दाखिल किया गया है। आवेदन के अनुसार वादपत्र में वादी द्वारा कुछ अल्फाज लिखना छूट गया है और कुछ गलत टाईप हो गया है जिसे सुधार करना अतिआवश्यक है। वादपत्र में जो संशोधन होगा वह फॉर्मल है जिससे वादपत्र का नेचर और स्कोप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का है इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अतः वादी का संशोधन आवेदन दिनांक-28.03.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी वाद-पत्र में विधिक समयानुसार संशोधन करें। वास्ते दिनांक-08.10.2025 धारा-89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	

--	--	--